बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विस्तृत सूचना

विज्ञापन संख्या 02/2022, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–698, दिनांक–30.03.2022 के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 3(iv) एवं (v) को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है:–

1. बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021 के नियम–6 (iv) में अंकित है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है:–

   (क) उक्त प्रावधान 2012 या उसके पश्चात् नियुक्त जिला परिषद्/नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा।

   (ख) वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त पंचायतीराज/नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी।

   (ग) विभिन्न बोर्डो यथा, सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/बी०एस०ई०बी० से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा/पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा।

2. उक्त नियमावली 2021 के नियम–6 (v) में अनुभव संबंधी प्रावधान में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है:–

   (क) राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।

   (ख) सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/बी०एस०ई०बी० से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा।

   (ग) राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा।

   (घ) सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/बी०एस०ई०बी० से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।

3. उक्त नियमावली 2021 के नियम–20 (ii) के आलोक में उक्त प्रावधान को निम्न रूपेण स्पष्ट किया जाता है:–

   (क) विभिन्न बोर्डो यथा सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/बी०एस०ई०बी० से संबद्ध विद्यालयों में विभिन्न अवधि तक कार्यरत शिक्षकों का अनुभव अवधि एक साथ मान्य होगा।

   (ख) जिला परिषद्/नगर निकाय संस्थान अंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विभिन्न अवधि का कार्य अनुभव एक साथ मान्य होगा।

4. शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–950, दिनांक–16.03.2022 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में निम्न रूप से स्पष्ट किया जाता है कि पंचायतीराज संस्था/नगर निकाय संस्था के शिक्षकों द्वारा फॉर्म भरने के क्रम में अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक (प्रभारी सहित) द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं, किन्तु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा।

   सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/बी०एस०ई०बी० से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत किया गया मान्य होगा।

   अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी विहित प्रारूप आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

तद्नुसार विज्ञापन के शर्तों को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त संशोधन के आलोक में ऑलाईन आवेदन में आवश्यक सुधार कर दिया गया है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

1.4.22

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।